118

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

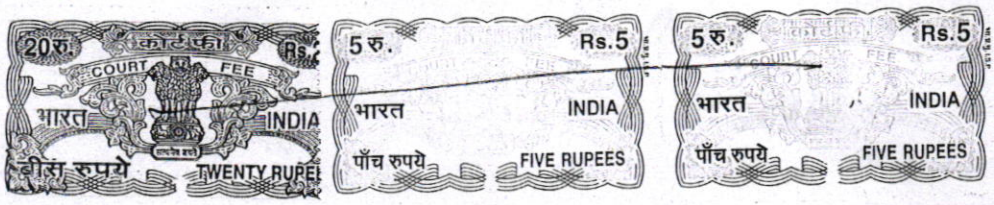

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

III/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/2105 Rs 30/-

शिवेन्द्र त्रिपाठी तनय श्री जितेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम डाम्हा पोस्ट बरेठिया थाना तहसील नागौद जिला सतना (म.प्र.) हाल निवास रूद्ररतीपुरम् फ्रेण्डस (बांधवगढ़ कालोनी) सतना जिला सतना (म.प्र.) द्वारा मुक्तियार जितेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी तनय स्व. रूद्र प्रसाद त्रिपाठी उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम डाम्हा पोस्ट बरेठिया थाना तहसील नागौद जिला सतना (म.प्र.) हाल निवास रूद्ररतीपुरम फ्रेण्डस (बांधवगढ़ कालोनी) सतना जिला सतना (म.प्र.)

..........**निगरानीकर्ता**

बनाम

1. रूद्र प्रसाद त्रिपाठी तनय स्व. रामजियावन त्रिपाठी (मृत)
2. श्रीमती रामलली शर्मा पुत्री स्व: रूद्र प्रसाद त्रिपाठी पत्नी श्री रामाधार शर्मा उम्र 72 वर्ष निवासी ग्राम मुगहर पो. रहिकवारा तहसील नागौद जिला सतना (म.प्र.)

.............**गैरनिगरानीकर्ता**

अधिवक्ता श्री शाहिदा बेगम द्वारा पेश 05-7-17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(लिंक कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार नागौद जिला सतना म.प्र. द्वारा प्रकरण क्र. 08/अ-6/14-15 में पारित आदेश दिनांक 05/05/2017

निगरानी अर्तगत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

1. यह कि निगरानीकर्ता को भूमि खसरा क्र. 18 रकवा 0.063 हे. 19 रकवा 0.042 हे., 42 रकवा 0.627 हे., 55 रकवा 0.021 हे., 72 रकवा 0.941 हे., 142 रकवा 0.537 हे., 368 रकवा 0.178 हे., 369 रकवा 3.659 हे., 427/1 रकवा 1.212 हे., 440 रकवा 0.543 हे. कुल किता 10 कुल रकवा 7.923 हे. स्थित ग्राम डाम्हा तहसील नागौद जिला सतना (म.प्र.) वसीयतनामा निष्पादित एवं पंजीकृत दिनांक 10/09/2013 के माध्यम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/सतना/भू0रा0/2017/2105

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
18/07/18	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार नागौद जिला सतना के प्रकरण कमांक 8 अ–6/ 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 5–5–2017 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में व्यक्त किया कि निगरानीकर्ता के पक्ष में ग्राम डाम्हा तहसील नागौद की कुल किता 10 कुल रकबा 7–923 हैक्टर भूमि की पॅजीकृत बसीयत है जिसके आधार पर नामान्तरण चाहा गया है। भले ही व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित रहे, किन्तु तहसीलदार को चालू खसरा शुद्व रखने के लिये पॅजीकृत बसीयत के आधार पर नामान्तरण करना चाहिये, किन्तु तहसीलदार ने व्यवहार वाद के निराकरण तक प्रकरण में कार्यवाही रोक देने की त्रृटि की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार को निर्देश दिये जांय कि वह वाद विचारित भूमि पर पॅजीकृत बसीयत के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही करें । 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव निगरानी तहसीलदार नागौद के आदेश दिनांक 5–5–2017 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार ने नामान्तरण कार्यवाही रोकन वावत् निम्ननुसार निर्णय लिया है :– • आपत्तिकर्ता रामलली शर्मा व्दारा आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के तहत स्वत्व घोषणा का दावा माननीय द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 नागौद के व्यवहार वाद प्रकरण कमांक 52 ए/16 दायर किया था, जिसमें दिनांक 24–10–2016 को वादी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये बसीयतनामा में लेख की गई भूमियों के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया गया है। *	

चोबालाल विरूद्व म0प्र0राज्य 2006 रा0नि0 182 में बताया गया है कि यदि सिविल न्यायालय रोक का आदेश दे दे, तब उसका पालन करना अनिवार्य है। फलस्वरूप तहसीलदार व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 5–5–2017 से लिया गया निर्णय सही है जिसमें हस्तक्षेप का औचित्य न होने से निगरानी इसी स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य